

## अध्याय 10

### निष्कर्ष एवं सिफारिशें

#### 10.1 निष्कर्ष:

1. सीआईएल की सात कोयला उत्पादक अनुषंगियों में से छह के पास एमओईएफ एंड सीसी द्वारा अधिदेशित अपने संबंधित निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कारपोरेट पर्यावरण नीति नहीं थी। इसके अतिरिक्त, पर्यावरणीय स्कंध में विभिन्न स्तरों की शक्तियों की जिम्मेदारी और प्रत्यायोजन संबंधी दिशा-निर्देशों को अनुषंगियों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन विशिष्ट खानों में प्रचालनों में एक गाइड के रूप में कार्य करने के लिए मैनुअल के रूप में नहीं दिया गया था।
2. वायु, जल और भूमि से संबंधित प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी अपनाने के बावजूद, सीआईएल और इसकी अनुषंगियों में पर्यावरण विनियमों के अननुपालन के कई मामले देखे गए हैं।
3. एक समान नीति की अनुपस्थिति के कारण, कोयला अनुषंगियों में विभिन्न पध्दतियों का अनुपालन किया जाता है जैसे कि खदानों में खाली जगहों को भरने के लिए फ्लाइ ऐश का उपयोग किया जाता है।
4. अनुषंगियों ने सीटीओ और खनन योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुमति से अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन किया, साथ ही साथ उन्होंने ईसी, सीटीई और सीटीओ के बिना ही परिचालन किया। सीसीएल ने पर्यावरण मंजूरी के बिना पलामू टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्र में वन को नष्ट कर भवन निर्माण किया।
5. 2013-18 के दौरान अनुषंगियों ने सामूहिक रूप से सीएसआर पर एमओईएफएंडसीसी द्वारा अनिवार्यतः निदेशित कुल राशि का केवल 41 प्रतिशत खर्च किया। अनुषंगियों के वास्तविक खर्चों में 40 प्रतिशत और 87 प्रतिशत के बीच कमी रही, जिससे विशिष्ट खदानों के लिए सतत सामुदायिक विकास की प्रक्रिया बाधित हुई।

6. स्थान-परिवर्तन/पुनर्वासन, के लिए झरिया मास्टर प्लान के तहत 45 पहचान किए गए अग्नि परियोजनाओं के प्रति, केवल 25 परियोजनाओं में अग्निशमन कार्यकलाप आरंभ हुए। भूमिगत आग की परिधि का आकलन करने के लिए न तो बीसीसीएल के पास विशेषज्ञता थी और न ही विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ लिया। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने सूचित किया कि वर्ष 2014 में सतह की आग की प्रमात्रा 2.018 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र तक फैली थी जो अब 2018 में 3.28 वर्ग कि.मी. तक विस्तारित हो गई थी, जिससे पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव के अतिरिक्त इसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ गया।
7. यद्यपि सीआईएल ने मार्च 2019 तक 1000 मेगावाट स्थापित करने का अनुमान लगाया था, सौर परियोजना के कार्यान्वयन में कोई प्रगति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, सौर ऊर्जा पर पदांतरण करने से परिकल्पित पर्यावरणीय लाभ फलित नहीं हुए।
8. सीआईएल और इसकी अनुषंगियों के बीच अपनी खदानों और मुख्यालयों में पर्यावरण अधिकारियों की तैनाती की तुलना में संस्वीकृत संख्या का निर्धारण करने के लिए कोई अनुरूपता नहीं है।
9. अनुषंगियों में निगरानी तंत्र और सीआईएल द्वारा निभाई गई निरीक्षण भूमिका समुचित नहीं पाई गई। सभी अनुषंगियों में पर्यावरण संबंधी कार्यकलापों के मूल्यांकन के लिए पर्यावरण विभाग का थर्ड पार्टी लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई।

## 10.2 सिफारिशें:

हम यह सिफारिश करते हैं कि:

1. कोयला क्षेत्र की कंपनियाँ एमओईएफएण्डसीसी द्वारा यथा अधिदेशित अपने संबंधित निदेशक मंडल के विधिवत अनुमोदन से पर्यावरण नीति बनाए।
2. अनुषंगी कंपनियाँ प्रदूषण नियंत्रण हेतु दोहरी नीति अपना सकते हैं। प्रदूषण नियंत्रण उपायों से संबंधित पूंजीगत कार्य शीघ्रता से पूरे किए जाए। खदानों के आस-पास

हरति क्षेत्र बढ़ाने और जैविक संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण का कार्य भी साथ-साथ और शीघ्रता से किया जाए।

3. सीआईएल को खदानों में फ्लाइं ऐश के उपयोग के प्रति एकरूप और वैज्ञानिक नीति तैयार करनी चाहिए ताकि पर्यावरणीय संधारणीयता सुनिश्चित की जा सके।
4. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय विशेष खदानों के आस-पास संधारणीय सामुदायिक विकास सुनिश्चित करने हेतु सही प्रकार से किया जाए, जैसा ईसी में अधिदेशित है, ताकि एकतरफा विकास से बचा जा सके।
5. झरिया कोयला क्षेत्र में पर्यावरण पर धंसाव और अग्नि के प्रतिकूल प्रभाव के शमन और विराम हेतु उपचारात्मक कार्रवाई जल्द की जाए।
6. सौर ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन को शीघ्रता से किया जाए ताकि पर्यावरणीय लाभ परिकल्पनानुसार फलीभूत हो सके।
7. सीआईएल और अनुषंगियों के पर्यावरण विभाग में कार्मिक संख्या को भी तर्कसंगत बनाया जाए और उनके नियंत्रणाधीन विशेष खदानों में परिचालनों में मार्गदर्शन हेतु पर्यावरणीय नियमपुस्तक बनाई जाए।
8. अनुषंगियों में निगरानी तंत्र की निष्पक्षता बनाए रखने हेतु मौजूदा रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सरल बनाने और अनुपालन तंत्र प्रणाली में उचित जांच एवं संतुलन सुनिश्चित करने हेतु सुदृढ़ किया जाए। निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सीआईएल की निरीक्षण भूमिका निर्देशित की जाए।
9. पर्यावरणीय प्रदूषण के शमन में देखी गई कमियां नमूना खदानों की लेखापरीक्षा पर आधारित थी जिसकी अन्य खदानों में पर्यावरणीय नियम एवं विनियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समीक्षा की जाए।

कोयला मंत्रालय ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और कहा कि ये सिफारिशें पूरे कोयला क्षेत्र पर लागू होंगी जिनमें सीआईएल के अलावा अन्य कंपनियां भी शामिल थीं और समुचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।

नई दिल्ली

दिनांक: 31 जुलाई 2019

**वेंकटेश मोहन**

(वेंकटेश मोहन)

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(वाणिज्यिक)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 31 जुलाई 2019



(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

